



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2716]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2016/कार्तिक 26, 1938

No. 2716]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016/KARTIKA 26, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

का.आ. 3479(अ)—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवंबर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, को और संशोधित करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, खंड (i) में, 18 नवंबर, 2016 से “4,500/- रुपए मूल्य” अंकों और शब्दों के स्थान पर “2,000/- रुपए मूल्य” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, खंड (vi) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि प्रथम परंतुक में उपबंधित निकासी सीमा कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) बाजारों या मंडियों के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को भी लागू होगी।”।

[अधिसूचना सं. 10/03/2016-सीवाई.1]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसको अधिसूचना सं. का.आ. 3418(अ) तारीख 9 नवंबर, 2016 द्वारा सही किया गया था और का.आ. 3446(अ) तारीख 13 नवंबर, 2016 और का.आ. 3449(अ) तारीख 14 नवंबर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2016

S.O. 3479(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S. O. 3407 (E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in clause (i), with effect from the 18th November, 2016, for the words, letters and figures “value of Rs. 4500/-”, the words, letters and figures “value of Rs. 2000/-” shall be substituted.

2. In the said notification, in paragraph 2, in clause (vi), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the withdrawal limit provided in the first proviso shall also be applicable to the traders registered with the Agricultural Produce Market Committee (APMC) markets or mandis.”

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3407 (E) dated the 8th November, 2016 and subsequently corrected *vide* notification number S.O. 3418 (E) dated the 9th November, 2016 and amended *vide* S.O. 3446 (E) dated the 13th November, 2016 and S.O. 3449 (E) dated the 14th November, 2016.